ग्राम पंचायत चैतड़ू विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के लेखाओं का
अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2013 से 03/2016
भाग –1

1 (क) प्रस्तावनाः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एंव उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-5C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत चैतड़ू विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागडा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क0	नाम	अवधि
1	श्रीमति सीमा देवी	01/04/2013 से 22/01/2016
2	श्री हरीश कुमार	23/01/2016 से 31/03/2016

सचिवः–

क0	नाम	अवधि
1	श्री मति सुर्दशना देवी	01/04/2013 से 15/01/2014
2	श्री मति सविता देवी	16/01/2014 से 20/03/2014
3	श्री मति सुर्दशना देवी	21/03/2014 से 16/06/2015
4	श्री सुरेन्द्र कुमार	17/06/2015 से 31/03/2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत चैतड़ू, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एंव निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

कम संख्या	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8	पंचायत राजस्व की शेष वसूली	0.19
2	9	अनुदान राशि का अवरोधन	11.21
3	10	औपचाकिताऐं पूर्ण किये बिना क्रय करना	0.85
4	11	क्रय की गई सामग्री का भण्डारण न करना	1.11

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत चैतड़ू, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एंव वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा

दिनांक 29/12/2016 से 7/01/2017 तक ग्राम पंचायत चैतडु में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 09/13, 03/15 व 04/15 तथा व्यय के लिए माह 02/2014, 03/2015, व 9/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवदेन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत चैतडू, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/–बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 30 दिनांक 16/01/2017 द्वारा सचिव, पंचायत चैतडू, से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत चैतडू, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 4/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

4.1 स्वः स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत चैतडू, के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) स्वः स्त्रोत

वर्ष	अथशेष	पावतियां	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	138090.00	30747.00	3556.00	172393.00	68223.00	104170.00
2014–15	104170.00	212411.00	5196.00	321777.00	175906.00	145871.00
2015–16	145871.00	75140.00	7815.00	228826.00	18051.00	210775.00

(ख) अनुदान

वर्ष	अथशेष	पावतियां	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	501450.00	2650587.00	20578.00	3172615.00	2653656.00	518959.00
2014–15	518959.00	2923916.00	20640.00	3463515.00	2382233.00	1081282.00
2015–16	1081282.00	2442608.00	34114.00	3558004.00	2437077.00	1120927.00
					कुल योग (क+ख)	**1331702.00**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रम सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	के0सी0सी0 बैंक गग्गल	50056502232	477057.00
2	के0सी0सी0 बैंक गग्गल,	50069928796	129320.00
3	के0सी0सी0 बैंक गग्गल,	50060928854	1379.00
4	के0सी0सी0 बैंक गग्गल,	50055727950	132628.00
5	के0सी0सी0 बैंक गग्गल,	50055728251	43689.00
6	के0सी0सी0 बैंक गग्गल,	50065601975	42867.00
7	के0सी0सी0 बैंक गग्गल,	50056502561	895.00
8	के0सी0सी0 बैंक गग्गल,	50060928752	5894.00
9	के0सी0सी0 बैंक गग्गल,	20058021242	292198.00
10.	के0सी0सी0 बैंक गग्गल,	20058006755ः	210575.00
		कुल योग	**1331502**

बैंक समाधान विवरणः–

दिनांक 31.3.2016 को रोकडवही के अनुसार अन्तशेष राशि	1331702.00
हस्तशेष राशि	200.00
दिनांक 31.3.2016 को बैंक पासबुक के अनुसार अन्तशेष राशि	1331502.00

5 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करनाः–

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.1 नियमों के विरूद्ध दस बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वः संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत चैतडु, में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित दस बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन आठ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 खाता 'ख' में अर्जित ₹0.51 लाख ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वय संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत चैतडु, के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹75332 खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था परन्तु अन्तरित नहीं किया गया है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

माह/वर्ष	कुल ब्याज
2013–14	20578.00
2014–15	20640.00
2015–16	34114.00
कुल योग	**75332.00**

5.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत चैतडु, द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका तथा आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 सावधि जमा निवेश:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक में निवेशित किया जा सकता है। ग्राम पंचायत अपनी वित्तीय स्थिति के

अनुसार यथोचित राशि सावधि जमा में अधिक ब्याज अर्जित करने के उददेश्य से निवेश कर सकती है।

7 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हि0 प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–II में पंचायत आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.19 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत चैतडू द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹18949/–वसूली हेतु शेष था।

(क) गृहकरः–

क0सं0	वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्तियॉ	अन्तशेष
1	2013–14	5160.00	19450.00	24610.00	3150.00	21460.00
2	2014–15	21460.00	21600.00	43060.00	42800.00	260.00
3	2015–16	.260.00	21600.00	21860.00	7012.00	14848.00

(ख) भवन किराया

वर्ष	अथशेष राशि	कुल किराया	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	वकाया राशि
2013–14	700.00	1200.00	200.00	1700.00
2014–15	1700.00	1200.0	–	2900.00
2015–16	2900.00	1200.00	–	4100.00
			कुल शेष राजस्व	18948.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

9 अनुदान ₹11.21 लाख का अवरोधनः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31—03—2016 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹1120927 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा भिन्न—भिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से बंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशियों को प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.85 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "ख"** पर वर्णित विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹84880 के रेत, बजरी व अन्य निर्माण सामग्री का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीदी गई सामग्री का औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही खरीद करना सुनिश्चित की जाये।

11 क्रय की गई निर्माण सामग्री इत्यादि का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये निर्माण सामग्री का भण्डार इन्द्राज स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 से 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 तक के दौरान **परिशिष्ट "क"** पर वर्णित क्रय की गई निर्माण सामग्री व सीमेंट को क्रय के उपरान्त न तो भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया गया और न ही इसका आगामी निपटारा किया गया जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब क्रय किये गये सीमेंट व निर्माण सामग्री को भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत किया जाये।

12 ₹1825 का अनियमित भुगतानः–

अभिलेख जॉच के दौरान पाया गया कि भुगतान चैक संख्या 506710 द्वारा ₹1825 का भुगतान तकनीकी सहायक को किया गया था जिसे नियमानुसार बैध ठहराया जाये अन्यथा इस भुगतान को उचित स्त्रोत से वसूल किया जाये।

13 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इन रजिस्टरों का रख रखाव न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इनका रख–रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।

कम सं0	अभिलेख/रजिस्टर का नाम
1	गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2	शराब शुल्क प्राप्ति रजिस्टर
3	चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टर
4	निर्माण कार्य रजिस्टर
5	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6	रसीदों का स्टॉक रजिस्टर
7	विकास निष्पादन रजिस्टर
8	पेशगी रजिस्टर

15 अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप अवधि के दौरान व्यय की गई अनुदानों की राशि की सत्यता की जॉच नहीं की जा सकी। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय समस्त अनुदानों से सम्बधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्षः—लेखों के रख—रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 86 / 2017—खण्ड—1—2375—2378, दिनाँकः 26.04.2017 शिमला—9,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत चैतड़ू, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगडा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता / —
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881